महत्वपूर्ण एवं खास

जेल परिसर में कैदियों का किया गया स्वास्थ्य जांच

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के.चंद्रवंशी एवं जिला कार्यक्रम रंजना पैंकरा के मार्गदर्शन में जिला जेल परिसर में समस्त कैदियों का हेपेटाइटिस-बी एवं सी जाँच किया गया। नोडल अधिकारी डॉ.एस.के.मंडल, एपिडमियोलॉजिस्ट डॉ.कल्याणी पटेल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्योती खरे द्वारा समस्त कैदियों का हेपेटाईटिस बी एवं सी से बचाव के लिये सतर्कता बरतने, उपचार एवं टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें एमएलटी डलेश पटेल, दीपिका बेहरा, सम्पत सिदार,वार्ड ब्वाय रवि सिदार, लोकनाथ गुप्ता के द्वारा समस्त कैदियों का स्क्रीनिंग व जाँच कार्य किया गया।

तंत्र-मंत्र के झांसे में आकर परिवार ने गंवाए 52 लाख

कुरुद-रायपुर (आरएनएस)। ठगबाज रोज नये-नये पैंतरे आजमा रहे है, जिससे लोग ठगी के शिकार बन रहे है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड से एक अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहां तंत्र-मंत्र के झांसे में आकर एक परिवार ने 52 लाख रूपए गवां दिए, परिवार बड़ी ठगी का शिकार बन गया। परिवार को जब ठगी का अहसास हुआ तो थाने पहुंचकर शिकायत की है। ग्राम परसवानी निवासी प्रार्थी लेखराम चंद्राकर की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 2.96 करोड़ स्वीकृत, बेहतर होंगी सुविधाएं

रायपुर (आरएनएस)। वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट के एप्रन विस्तार और लाइटिंग उन्नयन के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने और हवाई अड्डों के उन्नयन पर तेजी से काम कर रही है। एप्रन विस्तार के तहत रनवे के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन अधिक सुगम होगा। लाइटिंग सिस्टम का उन्नयन किया जाएगा, जिससे रात के समय विमान संचालन सुरक्षित और प्रभावी बनेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि नाइट लैंडिंग के लिए जरूरी तकनीकी उपकरण, जैसे डीवीओआर, दक्षिण कोरिया से मंगाए जा रहे हैं। इनमें से एक मशीन एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और असेंबलिंग का काम जारी है।

हाईकोर्ट ने हटाई पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक हटा दी है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने रोक हटा दी है। बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफ ारिश की थी। इस सिफ ारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। बुधवार को इस मामले में पुन: जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया, जबकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्यरत जवानों के बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिससे सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ असंवैधानिक माना गया। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासकीय मेडिकल कालेजों में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम

रायगढ़ | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में आज चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढ़ीकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय-सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी।

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रख-रखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था। राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है।

पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रूपए से ऊपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास 10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से स्वाशासी समिति कार्य संपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।

स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठन

राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग-अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फ सामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।

इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रूपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा।

अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजों को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।

नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकल कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती किरण कौशल उपस्थित थीं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।

आभार जताने पहुंची सरस्वती यादव को मुख्यमंत्री ने रिमोट थमा कर कहा आज आप ही प्रदेश की सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि जारी करें

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता से 3 दिसंबर सरस्वती यादव के लिए हो गया खास
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की झलक, हितग्राही से जारी करवाई महतारी वंदन की दसवीं किश्त

रायगढ़

रायगढ़ की सरस्वती यादव के लिए 3 दिसंबर का दिन खास हो गया। दरअसल रायगढ़ में मुख्यमंत्री साय विकास कार्यों के लोकार्पण और महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त जारी करने पहुंचे थे। इस दौरान महतारी वंदन योजना के हितग्राही महिलाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताने पहुंची। रायगढ़ की सरस्वती यादव भी महिलाओं के इस समूह में शामिल थी। मंच में पुष्पगुच्छ देकर जब उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की इस योजना के लिए मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद दिया। तो मुख्यमंत्री साय ने सरस्वती को रिमोट थमाते हुए कहा कि आज आप ही महतारी वंदन योजना की राशि जारी करें। सरस्वती को सहसा विश्वास नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज आपके हाथों प्रदेश के 70 लाख माताओं बहनों के खाते में योजना की दसवीं किश्त के रूप 652 करोड़ जारी होंगे।

सरस्वती बताती हैं जब राशि जारी कर मंच से नीचे उतर रही थी तो पता चला यह पहली बार हुआ है जब किसी योजना के हितग्राही से ही मुख्यमंत्री ने राशि जारी करवाई है। यह जानकर खुशी और बढ़ गई। खुशियों का जो नोटिफिकेशन हर माह मुझे मिलता है, आज बटन दबा कर प्रदेश की 70 लाख माताओं बहनों को खुशियों का यह नोटिफिकेशन भेजने का मौका मुझे मिला है। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता है जो उन्होंने योजना की एक हितग्राही को इतना बड़ा अवसर दिया। यह पल ताउम्र नहीं भूल सकती। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन, उनकी सहजता की झलक थी। जो उन्होंने पहली बार एक हितग्राही से ही पूरे प्रदेश की महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जारी करवाई। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना की दस किश्तों में महिलाओं को 6530 करोड़ रूपये अंतरित किए जा चुके हैं।

ग्राम संबलपुरी रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव, चक्रधरनगर पुलिस जांच में जुटी

रायगढ़

चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम संबलपुरी में एनटीपीसी रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक (उम्र करीब 25 वर्ष) का शव सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ थाना चक्रधरनगर और साइबर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस टीम ने शव और रेलवे ट्रैक के आसपास बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक ने काले रंग का लोअर पहना हुआ था और गले में एक साधारण चेन थी, जिसके लॉकेट पर "Queen" लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने युवक को स्थानीय नहीं बताया और आशंका जताई कि वह बाहरी व्यक्ति हो सकता है।

थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र के गुमशुदा व्यक्तियों का रिकॉर्ड चेक कर सूचना साझा करने सूचित किया गया है तथा शव को केजीएच अस्पताल में सुरक्षित रखवाया है। मृतक की पहचान और परिजनों का पता लगाने पुलिस ने युवक की तस्वीरें विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की गई हैं, पुलिस की अपील है कि मृतक के संबंध में थाना प्रभारी चक्रधरनगर के मोबाइल नंबर-9479193210 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9479193299 में सूचित करें।

कोतरा रोड पुलिस ने महिला समूह के सदस्यों के साथ कृष्णापुर में की शराब रेड कार्यवाई, अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतरारोड़ पुलिस ने पुन: कार्रवाई की। ग्राम कृष्णापुर के गोंडपारा में महिला द्वारा घर के आंगन में महुआ शराब बेचने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस टीम ने महिला समूह के साथ मिलकर छापा मारा।

पुलिस को मौके पर महिला शांति चौहान (50 वर्ष) को हाथ भट्ठी से तैयार महुआ शराब बेचते हुए पकड़ा। आरोपी महिला के पास से 26 प्लास्टिक पन्नियों में 6.5 लीटर महुआ शराब और बिक्री से अर्जित 50 रुपये नकद बरामद किए गए। प्रत्येक पन्नी में 250 मि.ली. महुआ शराब भरी हुई थी।

पुलिस की दबिश के दौरान शराब खरीदने वाले लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्त सामग्री की कीमत करीब रु.650 है। आरोपी महिला शांति चौहान के खिलाफ थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करूणेश कुमार राय, और आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय की भूमिका अहम रही।

नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर हुई बैंकों के साथ बैठक

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर को सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है इस हेतु आज जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ के सभागार में जितेन्द्र कुमार जैन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में तथा अन्य न्यायाधीश गण की उपस्थिति व अंकिता मुदलियार,सचिव डी.एल.एस.ए. के नेतृत्व में बैंक एवं फाइनेंस की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में भारतीय स्टेट, ग्रमीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा, बजाज फाइनेंस लिमिटेट, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंस दूर संचार विभाग को बुलाया गया। जिसमें नेशनल लोक अदालत 2024 की रणनीति तैयार की गई। नेशनल लोक अदालत 2024 को सफल बनाने हेतु तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकरण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकवरी के मामले को निराकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

बीजापुर, सुकमा के साथ दंतेवाड़ा में भूकंप के झटके से सहमे लोग, रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता नापी गई

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में सुबह 7.36 को भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि, भूकंप का केंद्र तेलंगाना के मुलुगू में था। वहीं, रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता नापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 की तीव्रता का भूकंप आया। हैदराबाद में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:27 बजे आया। इसका केंद्र ज़मीन से 40 किलोमीटर की गहराई पर था। जगदलपुर में 7 महीने पहले भी 12 मिनट के अंतराल में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। शहर के आमागुड़ा, कुम्हारपारा, पथरागुड़ा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों आड़ावाल, सेमरा, करकापाल में भूकंप के झटके लगे हैं। भूकंप रात 7.53 बजे और 8 बजकर 5 मिनट पर आया। दरअसल, पृथ्वी की चार प्रमुख परतें हैं, जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है।

9 को रायपुर-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी लोकल-पैसेंजर ट्रेनें

रायपुर | आरएनएस

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रायपुर रेल मंडल के हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लाक के फलस्वरूप कुछ गाडिय़ों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है 7 इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रिलीविंग गर्डर की डी लांचिंग के लिए ट्राफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा । इस कार्य के लिए दिनांक 6 दिसंबर 2024 को रात्रि 22:00 बजे से दिनांक 7 दिसंबर 2024 को 2:00 तक 04 घंटे का ब्लॉक अप लाइन में और 3 घंटे 30 मिनट का ब्लॉक मिडल लाइन में लिया जाएगा। दिनांक 9 दिसंबर 2024 को 1:00 बजे से 4:30 बजे तक 3 घंटे 30 मिनट का डाउन लाइन में ब्लॉक लिया जाएगा । इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाडिय़ों का परिचालन प्रभावित रहेगा । जिसका विवरण इस प्रकार है:-

रद्द होने वाली गाडियां:-

1) दिनांक 06 एवं 09 दिसम्बर, 2024 को गाडी संख्या 08719 बिलासपुर-रायपुर मेमू रद्द रहेगी।

2) दिनांक 06 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08727 बिलासपुर-रायपुर मेमू रद्द रहेगी।

3) दिनांक 07 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08261 बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।

4) दिनांक 07 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08275 रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर रद्द रहेगी।

5) दिनांक 08 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08276 जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर रद्द रहेगी ।

6) दिनांक 08 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी।

07) दिनांक 09 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08728 रायपुर-बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी।

08) दिनांक 09 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमु रद्द रहेगी।

09) दिनांक 09 दिसम्बर 2024 को गाडी संख्या 08733 गेवरा रोड- बिलासपुर मेमु रद्द रहेगी। रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए ऐसे विकास कार्यों के लिए सहयोग की आशा करती है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU